न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2016 (उदयपुर आर्डर)

श्री थावरा पिता किसना मीणा निवासी केवड़ा तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दमली पत्नी कालू जी मीणा निवासी केवड़ा खुर्द तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सराड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 12–05–2016 प्रकरण संख्या 07/2014 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री रमेश नंदवाना अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री गिरिज शंकर मेहता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सांख्या–2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 31–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केवड़ा की आराजी नंबर 1163 रकबा .11 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 11–1–1997 को विपक्षी संख्या–1 को त्रुटिपूर्वक किया गया है। आवंटित आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर झरने के बहाव में स्थित है तथा सार्वजनिक उपयोग में आती है। आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। आवंटी के पति के

नाम खाता संख्या 23 में 2.73 हैक्टर, खाता संख्या 24 में 1.3 हैक्टर, खाता संख्या 25 में 1.9 हैक्टर तथा खाता संख्या 47 व 48 में हिस्सा भूमि होकर छिपाया गया है तथा मिली–भगत से पति के खाते में 1.42 हैक्टर भूमि ही होना अंकित किया गया है। भूमि की विधिवत अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है तथा आवंटन फ्रॉड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन से करवाया गया है। अतएव आवंटन खारिज किया जाय।

प्रकरण में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट आवंटी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–5–2016 से आवेदन खारिज करते हुए आवंटन बहाल रखा। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5–8–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री गिरिजा शंकर मेहता ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व विधि विरूद्ध है। भूमि सार्वजनिक है। आवंटी व राजस्व अधिकारियों से छल–कपट पूर्वक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन करवाया । सिर्फ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से ही आवंटन बहाल रखे जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में भूमि के सार्वजनिक हित की होने तथा जल प्रवाह क्षेत्रो में होने के तथ्य विचाराधीन होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण नहीं करवाया है तथा प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के द्वारा पेश शुदा खाता संख्या 23 में आवंटिया रेस्पोन्डेन्ट के पति के नाम 2.73 हैक्टर भूमि, खाता संख्या 24 में 1.3 हैक्टर भूमि होने, खाता संख्या 25 में 1.90 हैक्टर भूमि होने तथा अन्य भूमि भी होने के तथ्य उपलब्ध होने अर्थात 15 बीघा से भी ज्यादा भूमि केवड़ाकला व केवड़ा खुर्द में उपलब्ध होने के तथ्य व रेकर्ड होने के बावजूद तथा पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट में आवेदक के पति के खाते में सिर्फ 1.42 हैक्टर भूमि ही होना वर्णित करना, प्रथम दृष्टया तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया जाना प्रकट होता है। पेश शुदा रेकर्ड से ही यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के पति के नाम पूर्व से ही 2.73 हैक्टर +1.3 हैक्टर +1.9 हैक्टर कूल 5.93 हैक्टर भूमि करीब 25 बीघा से ज्यादा भूमि है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया ही आवंटन अपात्र व्यक्ति को तथ्यों को छिपाकर करवाया जाना प्रकट होता है। सिर्फ खातेदारी मिल जाने से प्रारम्भ की अवैध एवं विधि विरूद्ध आवंटन को बहाल रखे जाने की कोई विधिकता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–5–2016 अपास्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 आवंटी को आवंटित ग्राम केवड़ा की आराजी नंबर 1163 रकबा .11 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा भूमि बिलानाम दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर